

3/6/25

पत्रावली पेश हुई, वकील वाली अर्हियत/वकील  
वादी ने बाद पर आगे कोई कार्यवाही नहीं  
चाहते था निवेदन कर नोट प्रेष किया।  
अतः वकील वाली के निवेदन अंगुष्ठाए  
बाद नोट प्रेष में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली केवल शुभाए देकर नंकर से काम हो।

1107/25  
3/6/25

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, भूपालमगर

